150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

।। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), बांसवाड़ा ।।

कार्यालय आदेश

राजसथान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृ0वे0श्रृं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा – माध्य / संस्था/ एफ–1/12102/ सी.भ./शाशि ग्रेड।।। /2017–18 दिनांक 27.11.2019 एवं 07.01.2020 के अनुसार टीएसपी क्षैत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नाकिंत अभ्यर्थियों को तृ0वे0श्रृं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रक्षिशणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– रूपये प्रतिमाह अक्षरे तेईस हजार सात सौ रूपये पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक –प 8 (1) /क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधान अनुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

इन्हें दिनांक **13.02.2020** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगें।

सम्बन्धीत संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :–

1. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजां की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–।।/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।
4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की जांच विभाग द्वारा करायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करगें। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य नही पाई गयी तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई.(03 वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति कर कार्यग्रहण नही करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करेगें।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखेगें।
8. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।

लगातार............2

9. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें।
10. टीएसपी क्षैत्र में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार की अधिसुचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसार जारी किये गये पर ही कार्यग्रहण करवाया जावें ।
11. आवेदक से दहेज नही लिये जाने का स्व. धोषणा पत्र प्राप्त किया जावें ।
12. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तिया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधिन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019, 18491/2019, 18010/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन होगी।

इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवावे तथा कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करना सुनिश्चित करें ।

क्र. सं.	रोल नं.	मेरिट नं.	वर्ग	चयन वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	अभ्यर्थी फोटो
1	516541	10898	SC	SC	HARI RAM RATHORE	TOLA RAM RATHORE	07-08-1973	LUNDARA POST MALNU TEH BALI LUNDARA PINCODE 306504 DIST. PALI	GOVT.U.P.S. CHARNA BHUNDWAI (409475)(08280119101)	GHATOL	

(मावजी खांट)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः–जिशिअमु/मा/बांस/संस्था–1/फा.शाशि. नियुक्ति–2018/2019–2020/ 806 दिनांकः–03.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाडा।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प0स0..
10. संबंधित पीईईओ...
11. संबंधित संस्थाप्रधान..
12. सम्बन्धीत आशार्थी श्री..
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा